

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2015/फाल्गुन 22, 1936

सं. 142]

No. 142]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2015 /PHALGUNA 22, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

सा.का.नि. 188(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' और 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, किप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल) भर्ती नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' और समूह 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, किप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल)(संशोधन) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ख' और समूह 'ग' (रेडियो ऑपरेटर, किप्टो, तकनीकी, रेडियो फिटर, नक्शानवीस) (अराजपत्रित) पुरुष अथवा महिला रैंक (सिगनल) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ से संबंधित कम संख्या 04, पर सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी) पद के सामने, स्तंभ -8 के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

*आवश्यक:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से रेडियो इंजीनियरी या इलैक्ट्रानिक्स अथवा कंप्यूटर में तीन वर्ष का डिप्लोमा हो ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ विज्ञान में स्नातक ।

वांछनीय:

सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंप्यूटर में प्रशिक्षित व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी" ।

[फा. सं. आर-दो-1/14-सी(6)]

दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

विषय—मूल भर्ती नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 230 तारीख 16 सितम्बर 2006 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सा.का.नि. 144 तारीख 14 मई 2011 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2015

G.S.R. 188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) Recruitment Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) Recruitment (Amendments) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman) (Non-Gazetted) Male or Female Ranks (Signals) Recruitment Rules, 2006, in the schedule, against the post of Assistant Sub-Inspector (Technical) at the serial number 4, for the entries under column number 8 relating to educational and other qualification required for direct recruits, the following entries shall be substituted namely:—

“Essential:

10th Class Pass from a recognized Board with three years diploma in Radio Engineering or Electronics or Computers, from a recognized institute;

Or

Bachelor of Science degree with Physics, Chemistry and Mathematics from a recognized university.

Desirable:

Preference shall be given to persons having training in software or hardware computers.”

[F. No. R-II-1/14-C(6)]

DINESH MAHUR, Director (Pers)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R 230, dated the 16th September, 2006 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 144 dated 14th May, 2011.